





मध्योत्तर अंडमान के विशेष जज सुभाजित बसु ने पॉक्सो अधिनियम के तहत पन्द्रह अप्रैल को अपने एक आदेश में रूपेश बेक नामक एक व्यक्ति को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह और सजा भुगतनी पड़ेगी। कदमतला थाने में पॉक्सो के तहत पिछले वर्ष बाईस मई को एफ आई आर दर्ज हुआ था और नौ जून को चार्जशीट किया गया। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक शिल्पी सिंघा ने कदमतला के थाना प्रभारी अब्दुल रहमान के मार्गदर्शन और मध्योत्तर अंडमान पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल की निगरानी में इस मामले में जांच-पड़ताल की और आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब हुई। जांच अधिकारी को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा।

<><><><><><><><>

गैर सरकारी संगठन विद यू ने यू पी एस सी की सिविल सेवा परीक्षा दो हजार तेईस में द्वीपों की कालीकट निवासी ज़ोहरा बानू के सफल होने पर उन्हें सम्मानित किया। एन जी ओ की अध्यक्ष वीके मरियम बीबी और अन्य सदस्यों ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि इस तरह की कामयाबी से द्वीपों के अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है।

<><><><><><><><>